

भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड Railway Board



Office Order No. 29 of 2025

Sub.: Constitution of Tender Evaluation Committee at various levels for procurement of common Goods & Services through GeM portal.

Tender Evaluation Committees (TECs) are hereby constituted for the evaluation of online bids for procurement of common goods and services through the Government e-Marketplace (GeM) portal by the C&IS Directorate.

2. The delegation of powers for Direct Acceptance of Tenders, as well as the constitution of TECs and Tender Accepting Authorities (TAAs), shall be as detailed below:

(A) Direct Acceptance of Tenders:

S. No.	Officer nominated	Value limit
i.	Sr. System Analyst/Dy. Director	Up to 10 lakhs
ii.	JD/Director	Up to 50 lakhs

(B) Tender Evaluation Committee (TEC) and Tender Accepting Authority (TAA):

(i)	TEC level and Accepting Authority	Officer nomi	nated	Value limit
(1)	Member and Convener to TEC (C&IS	Sr.System	Analyst/Dy.	
	Dte.)	Director		upto Rs. 1 cr.
	Member of TEC (Finance Dte.)	Section	Officer/Dy.	
	Memor of 223 (Director		
	Accepting Authority: JD/Director			
(ii)	Member and Convener to TEC (C&IS	JD/Director		Above Rs. 1 cr. and upto
	Dte.)			Rs. 10 cr.
	Member of TEC (Stores Dte.)	JD/Director		
	Member of TEC (Finance Dte.)	JD/Director	Land Toler of the Control	
	Accepting Authority: ED/C&IS			

2. This issues with the concurrence of Finance Dte. and the approval of the competent Authority.

No.2025/O&M/5/1 Dated: 30.04.2025 Joint Secretary/Railway Board Email id: t.srinivas1@gov.in

Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

ED/C&IS, EDFX, EDRS(G)

Copy to:-

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

भारत सरकार/Government of India रेल मंत्रालय/Ministry of Railways रेलवे बोर्ड/Railway Board

2025 का कार्यालय आदेश संख्या 29

विषयः जीईएम पोर्टल के माध्यम से कॉमन गुड्स और सेवाओं के प्रापण के संबंध में विभिन्न स्तरों पर निविदा मूल्यांकन समिति का गठन।

एतद्दवारा सीएंडआईएस निदेशालय द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से कॉमन गुड्स और सेवाओं के प्रापण हेतु ऑनलाइन बोलियों के मूल्यांकन के संबंध में निविदा मूल्यांकन समितियों का गठन किया गया है।

2. निविदाओं की सीधी स्वीकृति निविदा मूल्यांकन समितियों और निविदा स्वीकृति प्राधिकरण (टीएएएस) के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगाः

(क) निविदाओं की सीधी स्वीकृतिः

क्र. सं.	नामांकित अधिकारी	मूल्य सीमा
i.	वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक/उपनिदेशक	10 लाख तक
ii.	संयुक्त निदेशक/निदेशक	50 लाख तक

(ख) निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) और निविदा स्वीकित प्राधिकरण (टीएए):

i.	निविदा मूल्यांकन समिति स्तर और	नामांकित अधिकारी	मूल्य सीमा		
	स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी				
	निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य और	वरिष्ठ सिस्टम	50 लाख रूपये से अधिक		
	संयोजक (सीएंडआईएस निदेशालय)	विशलेषक/उपनिदेशक	और 1 करोड़ रुपये तक		
	निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य (वित	अनुभाग अधिकारी/उपनिदेशक			
	निदेशालय)				
	-वीकृति देने वाले प्राधिकारीः संयुक्त निदेशक/निदेशक				
(ii)	निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य और	संयुक्त निदेशक/निदेशक	1 करोड़ रुपये से अधिक		
	संयोजक (सीएंडआईएस निदेशालय)		और 10 करोड़ रूपये तक		
	निविदा मूल्यांकन समिति का सदस्य (भंडार	संयुक्त निदेशक/निदेशक			
	निदेशालय)				
	निविदा मूल्यांकन समिति का सदस्य (वित	संयुक्त निदेशक/निदेशक			
	निदेशालय)				
	स्वीकृति प्राधिकारीः कार्यपालक निदेशक/सीएंडआईएस				

3. इसे वित निदेशालय की सहमित और इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(टी. श्रीनिवास)

सं. 2022/ओएंडएम/5/1 दिनांकः 30.04.2025 संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

टेलिफोन नं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित कार्यालय के सभी अधिकारी और शाखाएं। प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

कार्यपालक निदेशक/ सीएंडआईएस, कार्यापालक निदेशक वित व्यय, कार्यापालक निदेशक रेल भंडार (जी) प्रतिलिपि प्रेषित:-

कार्यापालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)